21.03.2018

माननीय कृषि मंत्री जी का अभिभाषण

श्री संदीप जजोदिआ, अध्यक्ष, एसोचैम और सीएमडी, मॉनेट ग्रुप, डॉ। एचपी सिंह, राष्ट्रीय कृषि और खाद्य सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, एसोचैम, भारत सरकार के एपीईडीए के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह, श्री डी एस रावत, महासचिव, एसोचैम, इस अवसर पर मौजूद प्रतिनिधि, मीडिया एवं उपस्थित भाइयों और बहेनों। आज, एसोचैम के राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी और जैविक विश्व पर पुरस्कार के इस अवसर पर: एडवांटेज इंडिया, नई दिल्ली, मैं आपके बीच उपस्थित रहने के लिए बहुत प्रसन्न हूं।

2. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैविक खेती का एक तरीका है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का उपयोग शामिल नहीं है। भारत सबसे बड़ा जैविक उत्पादक देश है। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक जैविक इनपुट और जैविक पौध संरक्षण के उपयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। हमारे देश में बहुत तरह की जैविक फार्मिंग की जाती है जैसे कि जीरो बजट आर्गेनिक फार्मिंग, योगिक खेती, नाटूको खेती तथा वैज्ञानिक जैविक खेती।यह सभी पध्तियां देसी गाय के गोबर व मूत्र पर आधारित हैं और भूमि की नमी को बनाये रखने के लिए मुलचिन(पलवार) की सीफारिश करती हैं ।

3. वैज्ञानिक जैविक खेती (पीकेवीवाई), ,जैविक खेती का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के अवशेषों का उपयोग करके स्वदेशी ज्ञान और कौशल के प्राचीन रूप पर वापस जाना नहीं है वरन वैग्यानिक तरीके से परंपरागत जैविक खेती को बढावा देना है। अपेडा द्वारा येस बैंक के माध्यम से किए गए अध्ययन के अनुसार घरेलू जैविक बाजार का आकार लगभग 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए/प्रति वर्ष के बीच है ।

4. भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश है ।यहां तक कि आज के वर्तमान भारत के बहुत बड़े भू-भाग में परंपरागत ज्ञान के आधार पर जैविक खेती की जाती है । दुनिया के कुछ वैज्ञानिक इसे 'डिफाल्ट ऑर्गेनिक' कहते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत हैकि जो किसान परंपरागत रूप से जैविक खेती कर रहे हैं यह उनकी मजबूरी नहीं, उनकी पसंद है। बेहद गहरी समझ के साथ वो इस रास्ते पर सदियों से चल रहे हैं । आज, वो रासायनिक खाद का
इस्तेमाल नहीं करते तो यह उनकी अज्ञानता नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत सोच-समझ कर ऐसा न फैसला किया है । इसलिए उनकी इस खेती की विधि को 'बाई डिफाल्ट' नहीं कहा जा सकता ।

5. भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि पिछले कुछ दशकों में खेतों में रासायनिक खादके अंधाधुंध उपयोग ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि इस तरह हम कितने दिन खेती सकेंगे? रासायनिक खाद युक्त खेती से पर्यावरण के साथ सामाजिक-आर्थिक और उत्पादन से जुड़े मुद्दे भी हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

6. हमारी सरकार देश को आधुनिक कृषि की तरफ ले जाना चाहती है। हम कृषि जगत में नई तकनीकें लाना चाहते हैं, लेकिन साथ-साथ हमारी सदियों के जो अनुभव है, हमारे किसान के पास जो अनुभव है,

जो परंपरागत ज्ञान है इसको भुलाया नहीं जा सकता । देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हम नया तो ला नहीं पाए और पुराना छोड़ दिया। अतः उत्पादन में स्थायी वृद्धि हो, उसके लिए जैविक खेती को प्रोत्साहन देना हमारी प्राथमिकता है और इसीलिए हमने परम्परागत कृषि विकास योजना को आरम्भ किया।

7. जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार परंपरागत कृषि विकास योजना को आरंभ किया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना से २ लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किआ जा चूका है। परंपरागत कृषि विकास योजना से 5,00,000 किसान को लाभ पहुंचा है।

8. कृषि मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का मुख्य उद्देश्य देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है। सहभागियों की तकनिकी क्षमता में वृद्धि,तकनिकी प्रसार,जैविक उत्पाद का उत्पादन करना एवं प्रोत्साहन देना । जैविक खेती से होने वाले लाभ के प्रति जागरूकता पैदा करना ,जैव उर्वरक एवं कीट नाशको की गुणवत्ता पर नियत्रण करना आदि संस्था की विशेष जिम्मेदारी है ये संस्था एक और महत्व पूर्ण कार्य कर रही है जिसके अंतर्गत जैविक खेती का प्रमाणीकरण किसानो की भागीदारी के साथ कम खर्चे में सहभागितापूर्ण गारंटी सिस्टम के माध्यम से संभव हो पा रहा है ।

9. साथ ही साथ अन्य सरकारी संस्था जैसे एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फ़ूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) वाणिज्य मंत्रालय,भारत सरकार एक अत्यंत प्रमुख भूमिका निभाते हुए प्रमाणीकरण व्यवस्था के सुधार एवं नियत्रण के साथ साथ भारत में चल रहे सारे जैविक खेती की कार्यो का लेखा-जोखा करने की जिम्मेदारी निभाते हुए जैविक उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करती है ।

10.भारत सरकार ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए जैविक मूल्य श्रंखला विकास (ओवीसीडीएनईआर) योजनाओं का भी प्रारंभ किया है। हमारा लक्ष्य है कि जैविक खेती को बारानी क्षेत्रो, पहाड़ी क्षेत्रों एवं आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ावा दे क्योंकि इन क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम है।

11. स्कीम का उद्देश्य उत्पादकों के साथ उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रभावित जैविक उत्पादन का विकास एवं आदान, बीज, प्रमाणीकरण, एकत्रीकरण, समुच्चयन, प्रसंस्करण, विपणन एवं ब्रांड बिल्डिंग पहल के लिए सुविधाओं के सृजन से शुरु होने वाले संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास में सहायता प्रदान करना है।

12. पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रों में जैविक कृषि के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है अब तक 45918 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक योग्य क्षेत्र में परिवर्तित किया जा चूका है ओर 2429 एफआईजी का गठन कर लिया गया है 2500 एफआईजीएस लक्ष्य के मुकाबले । 48948 किसानों को योजना से जोड़ा जा चूका है।

13. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन महासंघ (नेरामक), भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. एफ. पी. टी.) और उत्तर पूर्वी डीओलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नेडफी) को सब्सिडी और ऋण वितरण, विपणन और प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया हैं ।

14. यद्दपि कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीट नाशियो के प्रयोग को सिमित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नही होनी चाहिए, बल्कि इन विषाक्त रसायनों के दुष्प्रभावो को दूर करने के लिए किसानो के समूह, गैर सहकारी संस्थाये जैविक उत्पाद का उपयोग बढ़ा कर अपनी भूमिका निभा सकते है ।

15. आदरणीय प्रधान मंत्री जी का एक व्यक्तिगत ध्येय है कि हरित क्रांति की भाति भारत वर्ष में कृषि भी “जैविक कृषि क्रांति” के रूप में सफल हो एवं कृषक समाज को इस खेती की वजह से मानसिक, आर्थिक आय एवं सुन्दर प्राकृतिक वातावरण प्राप्त हो सके ।

16. जैविक खेती का कार्यक्रम किसानो के बीच उसी तरह से कराया जाना चाहिए जिस भावना से हरित क्रांति का संचालन भारत में प्रारंभ हुआ था , माननीय प्रधान मंत्री जी के स्वप्न के अनुरूप भारत एक रसायन मुक्त जैविक देश बनने की ओर अग्रसर हो तथा निकट भविष्य में गर्व करने की स्थिति में आ जाये । आइये हम सब इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हाथ मिला कर सशक्त कदम उठाये ।

मैं इस पूरे आयोजन को सफल होने की बधाई देता हूं ।

धन्यवाद ।